Dr. P.K.Yadav

सुरक्षा परिषद : संगठन, शक्ति और कार्य

सुरक्षा परिषद U.N.O का सर्वाधिक शक्तिशाली अंग है और अन्तर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली यंत्र के रूप में चार्टर के द्वारा इसे स्थापित किया गया है। यूँ तो संगठन के दृष्टिकोण से राष्ट्रसंघ की परिषद से यह समानता रखती है। परन्तु शक्ति के दृष्टिकोण से यह राष्ट्रसंघ के परिषद से काफी अधिक महत्वपूर्ण है। सुरक्षा परिषद के नियमों को स्वीकार करने तथा इसे लागू करने का वचन भी सदस्य राज्यों ने दिया है, इससे इसकी प्रतिष्ठा और बढ़ जाती है।

संगठन (Composition)

राष्ट्रसंघ की परिषद की भाँति सुरक्षा परिषद भी एक व्यापक शक्ति (Big Power Organ) का अंग है। पाँच महान राष्ट्र संयुक्त राज्य अमरीका, पूर्व सोवियत संघ (वर्तमान रूस) ब्रिटेन, फ्रांस और चीन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य राष्ट्रों की संख्या 1965 के चार्टर में प्रथम संशोधन के पश्चात् इसकी संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई। इस प्रकार सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या 15 है। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा द्वारा दो वर्षों के लिए 2/3 बहुमत से होता है।

सुरक्षा परिषद् की मतदान प्रणाली के सम्बन्ध में चार्टर की धारा 27 में उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक सदस्य राज्य को एक मत देने का अधिकार है। किसी प्रक्रियात्मक विषय के सम्बंध में सदस्यों के 9 स्वीकारात्मक मतों से निर्णय होता है, जबकि अन्य महत्वपूर्ण मत के सम्बन्ध में निर्णय के लिए स्वीकारात्मक मतों में पाँचों स्थायी सदस्यों का मत भी आवश्यक है। किसी एक महान राष्ट्र के एक नकारात्मक मत से सुरक्षा परिषद् के सदस्यों का मत व्यर्थ हो सकता है। ऐसे ही नकारात्मक मत को वीटो पॉवर का नाम दिया जाता है।

सुरक्षा परिषद् की इस प्रकार से संरचना की गई है जिससे कि लगातार एवं शीघ्र सूचना पर कार्य करें। यही कारण है कि सुरक्षा परिषद् के सदस्य राज्यों को अपने प्रतिनिधियों को स्थायी रूप से न्यूयार्क में रहना पड़ता है। सुरक्षा परिषद् के किसी सदस्य या महासभा या महासचिव के प्रश्न पर विशेष बैठक भी बुलाई जा सकती है। सुरक्षा परिषद् की कार्यवाई को संचालित करने के लिए एक अध्यक्ष पद की व्यवस्था होती है। अध्यक्ष का पद रोटेशनल होता है। (++)

(++) अध्यक्ष पद पर परिषद् के सदस्य बारी-बारी से एक-एक महीने के लिए अपने देश के नाम के प्रथम अक्षर के क्रमानुसार आसीन होते रहते हैं।

शक्ति और कार्य (Power & Functions) :-

सामान्य तौर पर, सुरक्षा परिषद् के शक्ति और कार्य को तीन भागों में बाँट सकते हैं :-

1. अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान :-
चार्टर की अध्याय VI में विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान की चर्चा की

गयी है। जहाँ तक, सुरक्षा परिषद की विवाद के शान्तिपूर्ण समाधान में भूमिका का प्रश्न है तो चार्टर की धारा 35 में कहा गया है कि विवाद के पश्चात सुरक्षा परिषद के समक्ष आने से पहले वार्तालाप जाँच-पड़ताल, मध्यस्थता, पंचनिर्णय तथा अन्य शान्तिपूर्ण उपायों का सहारा लेंगे। परन्तु व्यवहार में ऐसा देखा जाता है कि विवाद के पक्ष ऐसे उपायों का सहारा लिए बिना ही सुरक्षा परिषद के समक्ष चले जाते हैं।

सुरक्षा परिषद विवाद के किसी भी चरण में शान्तिपूर्ण समाधान के लिए अपने विचार व्यक्त कर सकती है। चार्टर में यह व्यवस्था की गई है कि यदि विवाद के पक्ष अपने पसन्द से समाधान नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा परिषद अपनी रिपोर्ट देगी। इसके अतिरिक्त चार्टर की धारा 34 के अनुसार सुरक्षा परिषद के किसी भी विवाद एवं परिस्थिति की जाँच करने का महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। किसी ऐसे विवाद जिससे अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शान्ति बनाये रखने में खतरा होने की संभावना हो तो वह परिस्थिति एवं विवाद की जाँच कर सकती है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जहाँ चार्टर में विवादों के साथ परिस्थितियों की चर्चा की गयी है, जहाँ राष्ट्रसंघ की प्रसंविदा में केवल विवादों का उल्लेख था, परिस्थितियों का नहीं।

2. अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का बलकारी समाधान

चार्टर के अध्याय सात में विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के उपायों के अतिरिक्त उन उपायों की असफलता और अक्रियान्वयन के पूर्वानुमान के आधार पर प्रवर्तन कार्यवाही

शांति स्थापना का भी कार्य करती है।

इस अध्याय का शीर्षक है,- "शांति को खतरा, शान्ति भंग और आक्रमक कार्यवाही।" चार्टर की धारा 39 के अनुसार केवल सुरक्षा परिषद को यह अधिकार दिया गया है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय शांति को खतरा तथा आक्रमणकारी का निर्धारण करे, तथा इसके पश्चात वह सिफारिश पेश करे।

सुरक्षा परिषद को चार्टर द्वारा जो अधिकार पेश किए गए हैं, उसके अनुसार वह परिस्थितियों को बिगड़ने से रोकने के लिए कई आवश्यक कार्यवाही का सहारा ले सकते हैं। ऐसे अस्थायी उपायों में युद्ध विराम संघर्ष क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति सेना भेजना तथा आक्रमणकारी कार्यवाही को बन्द करने का आदेश आदि सम्मिलित है।

सुरक्षा परिषद जिस राष्ट्र को अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति भंग करने का दोषी मानती है अथवा उसका व्यवहार अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा के लिए आपत्तिजनक है तो उसके विरुद्ध आर्थिक दण्ड व्यवस्था, सैनिक दण्ड व्यवस्था, राजनयिक सम्बन्धों को तोड़ना आदि का आदेश दे सकती है। यह उल्लेखनीय है कि सैनिक कार्यवाही हेतु मलेट्री स्टाफ कमेटी जैसी विशिष्ट निकाय का निर्णय किया गया है।

3. निर्वाचन एवं निरक्षण सम्बन्धी कार्य :

सुरक्षा परिषद की सिफारिश ही सभा नये सदस्य राष्ट्रों को सदस्यता प्रदान करते हैं। ऐसे न्यासपरिषद के कुछ सदस्यों का निर्वाचन

महासभा के सदस्यों के साथ मिलकर करती है इसीप्रकार अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के पदों के निर्वाचन में महासभा के साथ सुरक्षा परिषद् भी भाग लेती है। किसी सदस्य राज्य के निष्कासन में सुरक्षा परिषद् की सिफारिश की आवश्यकता पड़ती है। महासचिव का निर्वाचन भी सुरक्षा परिषद् के सिफारिश पर महासभा करती है। सुरक्षा परिषद् न्याय प्रणाली के अन्तर्गत महत्वपूर्ण क्षेत्रों का निरक्षण भी करती है।

मूल्यांकन :-

सुरक्षा परिषद् के कार्यों एवं अधिकारों के अबतक के वर्णन से स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखने के लिए इसे व्यापक अधिकार प्राप्त है। परन्तु व्यवहारतः सुरक्षा परिषद् अन्तर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के संरक्षण के रूप में तथा विशेष रूप से सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का लागू करने के साधन के रूप में बहुत अधिक सफल नहीं कहा जा सकता। अब तक धारा 39 के अन्तर्गत सुरक्षा परिषद् केवल 1950 में उत्तर कोरिया के विरूद्ध तथा 1990 में इराक के विरूद्ध सैनिक कार्यवाही की है। परन्तु उत्तर कोरिया के विरूद्ध सैनिक कार्यवाही तभी संभव हो सकी जब पूर्व सोवियत संघ सुरक्षा परिषद् का बहिष्कार किये हुए था।

सामूहिक सुरक्षा को लागू करने के लिए महान राष्ट्रों के बीच विशेष रूप से U.S.A तथा पूर्व सोवियत संघ के बीच जिस

सहमति विद्यमान नहीं थी। अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच द्वितीय विश्वयुद्ध के उत्तरार्द्ध से जो शीतयुद्ध की प्रक्रिया चली, उसने सुरक्षा परिषद् के कार्यकरण को बुरी तरह से प्रभावित किया। उस पारस्परिक तनाव एवं गतिरोध के चलते सोवियत संघ ने शुरू में तथा अमरीका, फ्रांस व ब्रिटेन ने बार-बार वीटो का प्रयोग किया। कुछ सैनिक संगठनों का निर्माण भी सुरक्षा परिषद् को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।

1985 में पूर्व सोवियत संघ में गोर्बाचोव के नेता के रूप में उदय के बाद शीतयुद्ध की शिथिलता और अन्त में, सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों के बीच सहमति को बढ़ावा दिया गया। इस सहमति के चलते पहले तो खाड़ी संकट के सन्दर्भ में ईराक के विरूद्ध आर्थिक दण्ड व्यवस्था लागू किया गया और फिर U.N.O के कार्यकरण के इतिहास में दूसरीबार एक आक्रमणकारी राष्ट्र ईराक के विरूद्ध सैनिक कार्यवाही में अमरीका ने जिस प्रकार भूमिका निभायी, वह U.N.O के आलोचना का विषय है। फिर भी यहतो निश्चित है कि यह कार्य स्थायी राज्यों सहित सुरक्षा परिषद् को बहुमत द्वारा तय करना पड़ा।

यद्यपि सुरक्षा परिषद् के चार्टर के निर्माताओं के आशाओं को अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा जैसे विषय को अनुकूल बनाए रखने में बहुत अधिक सफल नहीं हो पाया है।

परन्तु यह भी ध्यान देने योग्य है कि 1960 वाले दशक के प्रारंभ में जैसे-जैसे U.S.A और U.S.S.R के बीच तनाव में कमी आयी है वैसे-वैसे सुरक्षा परिषद् की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती गयी है। आज अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है खास करके "पीस कीपिंग ऑपरेशन' के संदर्भ का सवाल है तो 1960 में कांगो, 1988 में ईराक और ईरान के मामले में, 1992 में कोम्बडिया इसके सफल प्रयोग के उदाहरण हैं। सितम्बर 1994 में हैती का आक्रमणकारी रूख में कमी लाने, उत्तर कोरिया के परमाणु नीति में शिथिलता लाने तथा आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने देने, October 1994 में ईराक के आक्रमणकारी रूख को दबाने, रवाण्डा एवं सोमालिया में शान्ति बहाल करने में सुरक्षा परिषद् की भूमिका सराहनीय रही है। अब जब पूर्व सोवियत संघ विघटित हो गया है, चीन वैश्वीकरण वाली व्यवस्था का भागीदार बनता जा रहा है और तीन महाशक्तियों में एकरूपता है तो सुरक्षा परिषद् आने वाले दिनों में शक्तिशाली ही होगा। साथ ही साथ इसकी निरंकुशता नहीं बढ़ेगी, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता।